पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2021 ई0 (चैत्र 20, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–15

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	241–293	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	155–158	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	161–164	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–2

अधिसूचना

10 मार्च, 2021 ई0

संख्या 390/XX–2/21/08(01)2020–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) सपठित धारा 17 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभाग की अधीनस्थ सेवा में नियुक्त निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार), आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

"उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2021"

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें पुलिस दूरसंचार विभाग के समूह–"ग" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाऐं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) एवं उप निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पदों के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) तथा सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) एवं आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) के पदों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) अभिप्रेत है ।

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत के संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो, या भारत का नागरिक समझा जाये;

(ग) "संविधान" से भारत के संविधान अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है

(ड.) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "सेवा" से उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;

(ज) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो;

(झ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(ट) चयन आयोग से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा तत्समय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था अभिप्रेत है ।

भाग–दो –संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न कर दिया जाये उतनी होगी जो परिशिष्ट "क" में दी गयी है:

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे जिससे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) आरक्षी (पुलिस दूरसंचार)–

शत्–प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा, जैसा कि नियम 22(क) मे उल्लखित है, पदोन्नति के माध्यम से उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार शाखा के **समूह "घ"** के मौलिक रूप मे नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों से भरे जायेंगे, जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्राविधिक संस्थान से किसी ऐसे व्यवसाय में से समकक्ष पाठ्यक्रम प्रमाण–पत्र जो पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिए उपयोगी हो या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप मे पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यह पद डांईग कैडर के हैं अर्थातः यदि आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) पद पर पदोन्नति हेतु कोई भी नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मी शेष न हो तो यह पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

(2) मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार)–

(क) 99 प्रतिशत पद उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा तत्समय सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार भरे जायेंगे।

(ख) 01 प्रतिशत पद 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर' विभागीय चयन समिति, जैसा कि नियम 22 (क) में उल्लिखित है, के माध्यम से ऐसे स्थाई आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होनें इस नियमावली के नियम 25 (ख) (1) में आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) हेतु निर्धारित 09 माह का आधार भूत प्रशिक्षण-रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **श्रेणी–तीन** तथा बेसिक पुलिस प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व 06 माह का परिचालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–तीन उत्तीर्ण किया हो :

परन्तु यह कि आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) का कैडर समाप्त होने पर मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) के शत्–प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(3) सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)–

शत्–प्रतिशत पद 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर' विभागीय चयन समिति ,जैसा कि नियम 22 **(क)** में उल्लिखित है, के माध्यम से ऐसे स्थायी मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिन्होंने इस नियमावली के नियम 25 (ख) (2) में उल्लिखित मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) हेतु निर्धारित प्रशिक्षण–रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **श्रेणी–दो** उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा इस नियमावली **के** प्रवृत्त होने से पूर्व 04 माह का परिचालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–दो उत्तीर्ण किया हो।

(4) उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)–

(1) 25 प्रतिशत पद उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा तत्समय सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था के माध्यम से इस हेतु सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(2) 75 प्रतिशत पद 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर' विभागीय चयन समिति, जैसा कि नियम 22 **(ख)** में उल्लिखित है, के माध्यम से ऐसे स्थाई सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने इस नियमावली के नियम 25 (ख) (3) में उल्लिखित सहायक उप निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) हेतु निर्धारित प्रशिक्षण–रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **श्रेणी–एक** उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व 04 माह का परिचालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–एक उत्तीर्ण किया हो।

(5)निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)–

शत्–प्रतिशत पद 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर' विभागीय चयन समिति के माध्यम से, जैसा कि नियम 22 (ग) में उल्लिखित है, ऐसे स्थायी उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से

जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिन्होंने इस नियमावली के नियम 25(क) (2) में उल्लिखित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) हेतु निर्धारित आधारभूत रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा आधारभूत पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, अथवा नियमावली के नियम 25(ख) (4) में पदोन्नत उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) हेतु निर्धारित उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व सीधी भर्ती/पदोन्नति से नियुक्त रेडियो अनुरक्षण अधिकारी अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी द्वारा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो।

सीधी भर्ती में आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत नियमों तथा राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत मे स्थायी रुप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत मे स्थायी रुप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केनिया, युगाण्डा और संयुक्त गणराज्य तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो:

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही नामन्जूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष मे जारी कर दिया जाय ।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताऐं रखता हो:–

(1) **मुख्य आरक्षी (पुलिस दूर संचार)–**

मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी इण्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान,गणित तथा अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो अथवा इसके समकक्ष अर्हता प्राप्त की हो।

अथवा

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इसके समकक्ष संस्थान से रेडियो प्रौद्यौगिकी से सम्बन्धित इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस या इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) **उप निरीक्षक (पुलिस दूर संचार)–**

भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय के साथ बी.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से किसी विषय के साथ अभियंत्रण में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो ।

अधिमानी अर्हता

9. अभ्यर्थी जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान हाते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा ।

अनिवार्य/वॉछनीय अर्हता

10. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के लियें अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित उपबन्धों के अनुसार होगी।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु ,जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जुलाई को–

(एक) मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) पद के लिए न्यूनतम अट्ठारह (18)वर्ष और अधिकतम बाईस (22) वर्ष होनी चाहिये और;

(दो) उप निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) पद के लिए आयु न्यूनतम बीस (21) वर्ष और अधिकतम अट्ठाईस (28) वर्ष होनी चाहिए:

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।

भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गयी कुल सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी ।

होमगार्डस् के उन्ही अभ्यर्थियों को सेवा में सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट तभी प्रदान की जायेगी जिन्होनें कम से कम तीन वर्ष की सेवा होमगार्डस् में पूरी कर ली हो । आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।

(तीन) (1) राजकीय सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(2) भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में होना आवश्यक है। इस हेतु भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय में कराये गये पंजीकरण कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

शारीरिक मानक परीक्षण– 12. (क) मुख्य आरक्षी,(पुलिस दूरसंचार) के सीधी भर्ती के पद हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक–

(1) ऊंचाई–

क्र.सं.	वर्ग	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)	महिला अभ्यर्थियो हेतु (न्यूनतम)
1	सामान्य/अन्य पिछडी वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	165.0 सें0मी0	152.0 सें0मी0
2	अनुसूचित जन–जाति के अभ्यर्थियों हेतु	157.50 सें0मी0	147.0 सें0मी0
3	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	160.0 सें0मी0	147.0 सें0मी0

(2) वजन (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)–
न्यूनतम 45 कि0ग्रा0

(3) सीने की माप (केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु)–

क्र.सं.	वर्ग	बिना फुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)
1	सामान्य/अन्य पिछडे वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	78.8 सें0मी0	83.8सें0मी0
2	उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जन–जाति के अभ्यर्थियों हेतु	76.3 सें0मी0	81.3सें0मी0

नोटः सीने मे न्यूनतम 05 सें0मी0 का फुलाव आवश्यक है।

(ख) उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) की सीधी भर्ती के पदो हेतु–

(1) ऊंचाई–

क्र.सं.	वर्ग	पुरुष अभ्यर्थी (न्यूनतम)	महिला अभ्यर्थी (न्यूनतम)
1	सामान्य/अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	167.70 सें0मी0	152.0 सें0मी0
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.0 सें0मी0	147.0 सें0मी0
3	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 सें0मी0	147.0 सें0मी0

(2) सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)–

क्र.सं.	वर्ग	बिनाफुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)
1	सामान्य/अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	78.8 सें0मी0	83.8 सें0मी0
2	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी व अनुसूचित जन–जाति के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 सें0मी0	81.5 सें0मी0

नोटः सीने मे न्यूनतम 05 सें0मी0 का फुलाव आवश्यक है।

(3) वजन (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

न्यूनतम 45 कि0ग्रा0

(ग) शासनादेश संख्याः 256/18–प्रा0शि0–2–88–20(एस0बी0) /82, दिनॉकः 16–01–1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है:–

देहरादून जनपद की पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊँचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल

तथा गढवाल, कोटद्वार समेत सब माउन्टेन सडक के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ, अल्मोडा, चमोली, टिहरी गढवाल तथा उत्तरकाशी जिलों के सम्पूर्ण भाग नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत का सम्पूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोडा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा ।

(घ) शारीरिक नाप–जोख परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

चरित्र

13. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

14. सेवा के किसी पद पर ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पति हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

15. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडनें की सम्भावना हो। भर्ती के लिए शारीरिक स्तर वही होगा, जो कि पुलिस विनियमों में समतुल्य श्रेणी के पदों के लिए दिया गया है। किसी अभ्यर्थी को जो कि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस विनियमों की अपेक्षानुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे। किसी अभ्यर्थी से नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो ।

टिप्पणीः– चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नॉक–नी, बो–लेग्स , फ्लेट–फीट, वेरीकोज

वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), रीनेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए श्रवण शक्ति परीक्षण की जांच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण भी करा सकता है। अभ्यर्थियों कि परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

1. राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक ऑख 6/6 और बॉये ऑख में 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियो के लिए दॉयी ऑख 6/6 और बॉये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियो की बॉयी ऑख 6/6 होनी चाहिए और वर्णांधता/भैंगापन से पूर्णरुप से मुक्त होना चाहिए ;

2. अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो–लैग, वेरिकोस वैन, हकलाना, विकलॉगता और अन्य विकृतियां व अन्य समस्यायें जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी मे किसी प्रकार की बाधा पैदा करे, को अयोग्य माना जायेगा। उक्त सम्बन्ध मे चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन मे अभ्यर्थी के उपयुक्त होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी को अन्तिम रुप से उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा मे नियुक्ति प्रदान की जायेगी;

3. कोई अभ्यर्थी जो अपने चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाईल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने मे विफल रहा है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाईल किये जाने के दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। मण्डलीय चिकित्सा परिषद मे संबन्धित दोष का विशेषज्ञ चिकित्सक होना अनिवार्य है;

4. चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और अंतिम योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भाग–पॉच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा नियोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17. (क) (1) विभागाध्यक्ष वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नीति एवं भर्ती के समय प्रवृत नियमों तथा सरकार के आदेशों के अनुसार भर्ती हेतु अधियाचन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत संस्था को प्रेषित करेगा।

(2) चयन आयोग या तत्समय सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत संस्था सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करेगा ।

(3) चयन आयोग या तत्समय सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था अभ्यर्थियों की शारीरिक नाप–जोख परीक्षा इस नियमावली के नियम 12 में निर्धारित माप–दण्डों के आधार पर आयोजित करेगा ।

(4) आयोग शारीरिक नाप–जोख परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग सम्बन्धित पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के पाठ्यक्रम के अनुसार 100 अंको का वस्तुनिष्ठ प्रकृति का एक प्रश्न–पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे। लिखित परीक्षा 02 घन्टे की होगी:–

क्र0सं0	विषय
1	सामान्य हिन्दी
2	विज्ञान
3	संख्यात्मक एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा
4	मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा

टिप्पणी:–परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम इस हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या तत्समय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था, यथास्थिति, द्वारा तैयार किया जायेगा। लिखित परीक्षा नियम 17 (क) के उपनियम (4) में उल्लिखित विषयों हेतु एक वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रकृति की होगी। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा।

लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें मैरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा ।

(ख) चयन तथा अन्तिम योग्यता सूचीः–

लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत चयन आयोग अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

यदि उपर्युक्त के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता दी जायेगी जिन्होंने इस नियमावली के नियम 9 में निर्धारित अधिमानी अर्हता प्राप्त की हो । यदि इसके बाबजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उनका नाम चयन सूची मे ऊपर रखा जायेगा। उपरोक्तानुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची को चयन आयोग अथवा इस हेतु प्राधिकृत संस्था अपनी संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण/चरित्र सत्यापन हेतु विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा।

चयन आयोग अथवा इस हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी ।

विभागाध्यक्ष चयन आयोग अथवा तत्समय सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

तैयार की गई अन्तिम सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा परीक्षा कराये जाने हेतु चिकित्सा परिषद् गठित करने का अनुरोध करेगा। चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण सुसंगत चिकित्सा मैनुअल के तहत किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जायेंगे, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा । सामान्यतः चरित्र सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण करा लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेत्तर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति आदेश जारी कर उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण पाठयक्रम हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में भेजेगा।

शपथ–पत्र

18. अन्तिम रुप से चयन के उपरान्त चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारुप में एक नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि, "मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला/क्रिमिनल केस भारत वर्ष में कहीं भी पंजीकृत नहीं हुआ है, और मैं ऐसे किसी आपराधिक मामले में

वांछित/सजायाफ्ता नहीं हूँ तथा मेरे विरुद्ध कोई अभियोग विवेचनाधीन/विचाराधीन नहीं है। मै एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सभी सूचनायें मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य हैं। मेरे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये सभी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र सही हैं तथा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। यदि आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा अंकित कोई तथ्य/शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र गलत/असत्य पाये जाते हैं तो मेरा अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा तथा भर्ती के लिये मेरे सारे दावे समाप्त हो जायेंगे, तथा विभाग मेरे विरुद्ध विधिक प्राविधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा जिसके सम्बन्ध में मैरे द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं किया जायेगा।''

बन्ध–पत्र

19. अन्तिम रुप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल/चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक सेवा में बने रहेंगे। यदि उनके द्वारा 05 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्यमुक्त किया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये गये स्टाईपेण्ड/वेतन की समस्त धनराशि का भुगतान पुलिस दूरसंचार विभाग को करना होगा।

सेवाकाल के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य निरीक्षण

20. विभाग में नियुक्त आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) एवं मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) के पदों पर नियुक्त समस्त कार्मिकों को पुलिस रेगुलेशन की प्रस्तर 387 में निहित प्रावधानों के तहत प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से अपना चिकित्सीय निरीक्षण (Medical Inspection) जिला चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी से कराना आवश्यक होगा। इस निरीक्षण के लिए प्रत्येक कार्मिक को अपने साथ अपने चिकित्सीय इतिहास पत्र (Medical History- sheet) ले जाना होगा। चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षण सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

21. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती **'अनुपयुक्त** को अस्वीकार करते हुये **ज्येष्ठता के आधार पर'** नियम 22 के उप नियम (क), (ख) एवं (ग) के अधीन विभिन्न पदों हेतु गठित अलग–अलग विभागीय चयन समिति के माध्यम से राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न पदों पर चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:1801/कार्मिक–2/2002,दिनांक 23–06–2003 राज्यधीन सेवाओं में विभिन्न पदों पर चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

परन्तु यह कि जहां विद्यमान नियमों से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचारण करने में कोई कठिनाई

उत्पन्न हो, ऐसी दशा में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के मापदण्ड के आधार पर होने वाले चयनों के लिए पात्रता सूची शासनादेश संख्याः 1801/कार्मिक–2/2002 दिनांक 23–06–2003 राज्यधीन सेवाओं में विभिन्न पदों पर चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के प्रस्तर 3(क) में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार गुणानुक्रम के आधार पर ज्येष्ठता क्रम में पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता–सूची नियमावली, 2003 के नियम 8 के उपबन्धों के अधीन बनायी गयी पात्रता सूची में सम्मिलित कार्मिकों के नामों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी ज्येष्ठता क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में विचार किया जायेगा। पदोन्नति हेतु ऐसे कार्मिक पात्र होंगे जिनका विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो।

पात्रता सूची की तैयारी हेतु निर्विवाद अन्तिम ज्येष्ठता सूची का प्रयोग किया जायेगा।

पात्रता सूची में उन कार्मिकों के नाम ही शामिल किये जायेंगे जो संबंधित चयन वर्ष (अर्थात उस चयन वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिये चयन प्रस्तावित है) की प्रथम जुलाई को, तत्समय प्रभावी नियमों के अनुसार, पात्रता की समस्त निर्धारित शर्तें (यथा स्थायीकरण, पोषक पद पर अर्हकारी सेवा, विभाग में निर्धारित अर्हकारी सेवा आदि, जो भी संबंधित सेवा नियमावली में निर्धारित हो) पूर्ण करते हों व सेवारत हों। यदि कोई कार्मिक चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को पात्रता की शर्तें पूरी करता हो, परन्तु विलम्ब से चयन सम्पन्न होनें के कारण, चयन के दिनांक को वह सेवानिवृत्त हो गया हो अथवा उसकी मृत्यु हो गयी हो, तब भी उसका नाम यथास्थान पात्रता सूची में रखा जाय। परन्तु यदि कोई कार्मिक संबंधित चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को उपरोक्तानुसार पात्रता की शर्तें पूरी न करता हो परन्तु विलम्ब से होने वाले चयनों में चयन समिति की बैठक आयोजित होने के दिनांक को अर्हताएं पूरी कर चुका हो तो ऐसे कार्मिक को पात्रता सूची में शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि नियमानुसार संबंधित चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को ही पात्रता धारण करना आवश्यक होता है ।

(क) उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसार उपयुक्त कार्मिकों के चयन हेतु सम्बन्धित कार्मिकों की, प्रोन्नति के पद के नीचे के पदों पर कार्य करने की अवधि की अद्यतन 05 वर्षो की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ देखी जायेंगी।

(ख) यदि उपनियम(क) के अनुसार विगत 05 वर्ष में किसी कार्मिक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो अथवा सत्यनिष्ठा रोकी गई हो तो ऐसे कार्मिक को

पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं समझा जायेगा,। किन्तु विभागीय पदोन्नति चयन समिति की बैठक की तिथि तक यदि किसी कार्मिक को कोई दीर्घ दण्ड अथवा लघु दण्ड, जिनका उल्लेख उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील)नियमावली,1991 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के नियम–4(क) व 4(ख) में अंकित किये गये हैं, प्राप्त होते हैं तो ऐसे दण्डों का प्रभाव क्रमशः दीर्घ दण्ड की दशा में दण्डादेश की तिथि से 03 वर्ष तक तथा लघु दण्ड की दशा में दण्ड का प्रभाव 01 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

(ग) उपर्युक्त के अनुसार की जाने वाली पदोन्नति में कार्मिक केवल अपनी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत करनें का दावा नहीं कर सकता । उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार यदि कार्मिक पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त घोषित होता है तो चयन समिति उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति हेतु विचार करके संस्तुत कर सकती है ।

(घ) दंडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाई/अभियोग में दण्डित किया जाता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाई/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाई/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियॉ मुहरबन्द लिफाफे में रखी जायेगी। जॉच/विभागीय कार्यवाई समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होनें के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मुहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा ।

(3) चयन समिति द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले में विचार किया जायेगा और, यदि वह आवश्यक समझे, तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

विभागीय चयन समिति का गठन

22. विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष द्वारा एक विभागीय चयन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा–

(क) आरक्षी (पुलिस दूरसंचार), मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) सहायक उप निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) पद के लिए –

(एक) पुलिस महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक–अध्यक्ष

(दो) पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार)–सदस्य

(तीन) पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) या अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार)–सदस्य

(ख) <u>उप निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद के लिए –</u>

(एक) पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)–अध्यक्ष

(दो) पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार)–सदस्य

(तीन) पुलिस महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट–एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक से निम्न पद का न हो–सदस्य

(ग) <u>निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद के लिए</u> –

(एक) पुलिस महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक–अध्यक्ष

(दो) पुलिस उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)–सदस्य

(तीन) पुलिस अधीक्षक, (पुलिस दूरसंचार)–सदस्य

नोटः– उक्त विभागीय चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी होना अनिवार्य होगा ।

संयुक्त चयन सूची

23. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो ही प्रकार से की जाती है, तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिसमें विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा–

दृष्टान्त–

(1) मान लीजिए यदि किसी वर्ष विशेष में सेवा में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से 75 और 25 के अनुपात में की जाती है और रिक्तियॉ 20 हैं तो ऐसी स्थिति में 15 रिक्तियों सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों और 5 रिक्तियॉ पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी। चयन के पश्चात् संयुक्त सूची निम्न चक्रीय क्रम में तैयार की जायेगीः–

1– पदोन्नति
2– सीधी भर्ती
3– सीधी भर्ती
4– सीधी भर्ती
5– पदोन्नति
6– सीधी भर्ती
7– सीधी भर्ती
11– सीधी भर्ती
12– सीधी भर्ती
13– पदोन्नति
14– सीधी भर्ती
15– सीधी भर्ती
16– सीधी भर्ती
17– पदोन्नति

8– सीधी भर्ती
9– पदोन्नति
10– सीधी भर्ती
18– सीधी भर्ती
19– सीधी भर्ती
20– सीधी भर्ती

दृष्टान्त

(2) यदि उपरोक्त प्रकरण में किसी वर्ष(X) में भर्ती विहित कोटा के अनुसार न करके 8 व्यक्ति पदोन्नति द्वारा और 12 व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और तत्समय प्रवृत्त संगत आदेश किसी भी स्रोत से रिक्तियां भरने की अनुमति नही दते हैं तो सीधी भर्ती के कोटे की पूर्ति अगले वर्ष(Y) में, 20 रिक्तियों में से 18 सीधी भर्ती से और 02 पदोन्नति द्वारा भर्ती से की जायेगी:–

X और Y वर्षों में संयुक्त सूची निम्नलिखित चक्रीय क्रम में तैयार की जायेगी

वर्ष(X)	वर्ष(Y)
1– सीधी भर्ती	1– सीधी भर्ती रिक्ति से भरी नही गई
2– सीधी भर्ती	2– सीधी भर्ती के कोटे की
3– सीधी भर्ती	3– सीधी भर्ती वर्ष(X)
4– सीधी भर्ती	4– पदोन्नति वर्ष(X) की अतिरिक्त भर्ती
5– पदोन्नति	5– सीधी भर्ती
6– सीधी भर्ती	6– सीधी भर्ती
7– सीधी भर्ती	7– सीधी भर्ती
8– सीधी भर्ती	8– पदोन्नति वर्ष(X) की अतिरिक्त भर्ती
9– पदोन्नति	9– सीधी भर्ती
10– सीधी भर्ती	10– सीधी भर्ती
11– सीधी भर्ती	11– सीधी भर्ती
12– सीधी भर्ती	12– पदोन्नति वर्ष(X) की अति0 भर्ती
13– पदोन्नति	13– सीधी भर्ती
14– सीधी भर्ती	14– सीधी भर्ती
15– सीधी भर्ती	15– सीधी भर्ती
16– सीधी भर्ती	16– पदोन्नति
17– पदोन्नति	17– सीधी भर्ती
	18– सीधी भर्ती
	19– सीधी भर्ती
	20–पदोन्नति

(3) यदि उदाहरण (2) में उल्लिखित प्रकरण में नियमों में या जहां कोई नियम नही है, तत्समय प्रवृत्त संगत आदेशों में विनिर्दिष्ट आकस्मिकता में खाली पदों को अन्य स्रोतों से भरे जाने का प्राविधान और खाली 03 पद

इस प्रकार पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, तो संयुक्त सूची निम्नलिखित चक्रीय क्रम में होगी:–

1– पदोन्नति
2– सीधी भर्ती
3– सीधी भर्ती
4– सीधी भर्ती
5– पदोन्नति
6– सीधी भर्ती
7– सीधी भर्ती
8– सीधी भर्ती
9– पदोन्नति
10– सीधी भर्ती
11– सीधी भर्ती
12– सीधी भर्ती
13– सीधी भर्ती
14– सीधी भर्ती
15– सीधी भर्ती
16– सीधी भर्ती
17– पदोन्नति
18– पदोन्नति
19– पदोन्नति
20– पदोन्नति

भाग–6

नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता–

नियुक्ति

24. (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उस क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम नियम 17, 21, अथवा 23, यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों।

(2) यदि किसी वर्ष नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 23 के अनुसार संयुक्त सूचियॉ तैयार न की गई हो।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित उनकी ज्येष्ठताक्रम के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा । यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 23 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी नियुक्तियां कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियॉ एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन अगले चयन किये जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, की जायेगी।

प्रशिक्षण

25. (क) <u>सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

(1) सीधी भर्ती किये गये शिक्षु मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) को नौ मास की अवधि के लिए रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–तीन तथा बेसिक पुलिस प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा। तदोपरान्त सीधी भर्ती किये गये शिक्षु मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) को पुलिस दूरसंचार शाखा के पुलिस दूरसंचार केन्द्रो/अनुभागो में छः मास की अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(2) सीधी भर्ती किये गये उप निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) को आठ मास की अवधि के लिए रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र में प्राप्त करना होगा। आठ मास के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षु उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मे चार मास का आधारभूत पुलिस प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। तत्पश्चात उनको पुलिस दूरसंचार शाखा के पुलिस दूरसंचार केन्द्रों/अनुभागो मे छः मास की अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(3) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उप निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) एवं मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) कैडिट यदि आधारभूत प्रशिक्षण में असफल होते हैं तो उनको पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थियों की सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) सेवा में किसी पद पर पदोन्नति हेतु वही कार्मिक पात्र होंगे जिसके द्वारा सम्बन्धित पद हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो:–

(1) आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) को नौ मास की अवधि के लिए रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–तीन तथा बेसिक पुलिस प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) को पुलिस दूरसंचार शाखा के पुलिस दूरसंचार केन्द्रों/अनुभागो मे छः मास की अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण करना होगा।

मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति हेतु ऐसे आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) भी पात्र होंगे जिन्होंने इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व छः माह का परिचालक परीक्षा श्रेणी–तीन उत्तीर्ण की है ।

(2) मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) से सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति हेतु मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) को छः मास का रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण प्रशिक्षण पाठयक्रम श्रेणी–दो

उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति हेतु ऐसे मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) भी पात्र होंगे जिन्होंने इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व चार मास का परिचालन पाठयक्रम श्रेणी–दो उत्तीर्ण किया हो।

(3) सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) को चार माह का रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–एक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति हेतु ऐसे सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) भी पात्र होंगे जिन्होंने इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व चार मास का परिचालन पाठयक्रम श्रेणी–एक उत्तीर्ण किया हो।

(4) पदोन्नति उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नत उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) को चार मास का उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। सीधी भर्ती के उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) ,जिन्होंने आठ मास की अवधि का रेडियो परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पश्चात् पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में चार मास का आधारभूत पुलिस प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो, भी निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। ऐसे उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसचांर) भी पात्र होंगे जिन्होंने इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व रेडियो केन्द्र अधिकारी प्रशिक्षण अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

(5) पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) मुख्यालय, पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) की सहमति से साइफर कार्यो हेतु नामित निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) /उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)/सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)/मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार) को समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र मे पुलिस बेसिक साइफर कोर्स, साइफर कोर्स ग्रेड–2 एवं साइफर कोर्स ग्रेड–1 हेतु भेजा जायेगा।

(6) विभागाध्यक्ष समय–समय पर विभाग की आवश्यकताओं के अनुरुप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पुनः निर्धारित कर सकेंगे ।

परिवीक्षा

26. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग– अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकते हैं, जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करनें में अन्यथा विफल रहा है तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रुप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

27. **(क)** परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा–अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि–

(एक) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो;

(दो) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(तीन) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(चार) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ; और

(पॉच) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(ख) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण "उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002" के नियम 4(1)व 4(2) में वर्णित प्रावधानों के अधीन केवल उसी पद पर किया जायेगा जिस पर वह :

(एक) सीधी भर्ती के माध्यम से; या

(दो) यदि भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नति द्वारा या

(तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रुप से नियुक्त किया गया हो।

(2) ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगाः–

(एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार न हो;

(दो) यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा निर्गत किए गये कार्यपालक अनुदेशों में दी गई स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन;

(तीन) स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा ।

स्पष्टीकरण– इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाए या किसी पद पर जहां भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी हो, प्रोन्नत किया जाए तो उसे उस पद पर स्थायी करना होगा।

स्थायीकरण जहां आवश्यक नहीं है–

"उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली" के नियम 5(1) के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा, यदि कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में, जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किए जाने के पश्चात नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाय ।

ज्येष्ठता का अवधारण

28. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" के अनुसार निर्धारित की जायेगा ।

भाग सात– वेतन इत्यादि

वेतनमान

29. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के आरम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "ख" के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

30. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सेवा में न हो, उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने

परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गनणा वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी अधिकारी की वेतनवृद्धि केवल विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण रोक दी जाये तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे वेतनवृद्धि की अनुमति, जिस मास में परीक्षा आयोजित की जाये उसके आगामी मास के प्रथम दिनांक से प्रदान की जायेगी और ऐसी अवधि की, जिसके दौरान वेतनवृद्धि रोकी जाये, समयमान में वेतनवृद्धि के लिये गणना की जायेगी।

भाग आठ– अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

31. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

32. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

सेवा शर्तों में शिथिलता

33. जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह की जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृति

34. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका सरकार का इस सम्बन्ध मे समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट–'क'
(नियम 4 का उपनियम (2) देखें)

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या
1	आरक्षी (पुलिस दूरसंचार)	06
2	मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार)	400
3	सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	200
4	उप निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	100
5	निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	20

परिशिष्ट–'ख'
(नियम 29 का उपनियम–(2) देखें)

क्र0	पदनाम	वेतनमान
1	आरक्षी (पुलिस दूरसंचार)	रु0 21700–69100 लेवल–3
2	मुख्य आरक्षी (पुलिस दूरसंचार)	रु0 25500–81100 लेवल–4
3	सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	रु0 35400–112400 लेवल–6
4	उप निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	रु0 44900–142400 लेवल–7
5	निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	रु0 47600–151100 लेवल–8

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 390/ XX-2/21/08(01)2020**, dated March 10, 2021 for general information.

NOTIFICATION

March 10, 2021

No. 390/XX-2/21/08(01)2020--In exercise of powers conferred by sub-section (1) of the section 87 read with section 17 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act No. 01, 2008) and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules to regulate the selection, promotion, training, appointment, fixation of seniority and conformation etc. of the Inspector (Police Telecom), Sub-Inspector (Police Telecom), Assistant Sub-Inspector (Police Telecom), Head Constable (Police Telecom), Constable (Police Telecom) appointed to the Uttarakhand Police Telecommunication Subordinate Service :--

"THE UTTARAKHAND POLICE TELECOMMUNICATION SUBORDINATE SERVICE RULES- 2021"

PART-I GENERAL

Short Title and Commencement –

1. (1) These Rules may be called "the Uttarakhand Police Telecommunication Subordinate Service Rules, 2020".

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service-

2. The Uttarakhand Police Telecommunication Subordinate Service is a service comprising group 'C' posts of the Police Telecommunication Department.

Definitions –

3. In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context –

(a) **"Appointing Authority"** means the Deputy Inspector General of Police (Police Telecommunication) in relation to the posts of Inspector (Police Telecommunication) and Sub-Inspector (Police Telecommunication) and Superintendent of Police (Police Telecommunication) in relation to the posts of Assistant Sub-Inspector (Police Telecommunication), Head Constable (Police Telecommunication) and Constable (Police Telecommunication);

(b) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(d) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(e) **"Government"** means the Government of Uttarakhand;

(f) **"Member of the Service"** means a person substantively appointed under the provision of these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre or the service;

(g) **"Service"** means the Uttarakhand Police Telecommunication Subordinate Service;

(h) **"Substantive Appointment"** means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(i) **"Year of Recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year;

(j) **"Selection Commission"** means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission or the institution authorized by the State Government for the time being;

PART-II -CADRE

Cadre of the Service – **4.** **(1)** The strength of the service and of each category of post therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of service and each category of post therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as specified in Appendix – "A".

Provided that –

(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation;

(b) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART – III – RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources: -

(1) Constable (Police Telecommunication) –

Cent percent post of Constable (Police Telecommunication) shall be filled by promotion through the departmental selection Committee as mentioned in rule 22 (a) from amongst such permanent Group-D employees substantially appointed in Uttarakhand Police Telecom Department, who have passed high school examination or equivalent or Certificate Examination in a trade from an Industrial Training Institute (ITI), recognized by the Government, which is useful for the Police Radio Workshop or have any other equivalent qualification and have completed minimum five (05) years of service as such on the first day of the year of recruitment. These posts are of dying cadre, i.e. In case no regular group D employee remains for the promotion to the post of Constable (Police Telecommunication), the posts may be deemed to be automatically ceased to exist.

(2) Head Constable (Police Telecommunication)

(a) 99 percent posts shall be filled by direct recruitment through the Uttarakhand Subordinate Service Commission or an institution authorised by Government for this purpose for the time being and by the procedure prescribed by the Government.

(b) 01 percent posts shall be filled by promotion from amongst such permanent Constables (Police Communication), who has completed 05 (five) years of service as Constable (Police Telecommunication) on the first day of the year of recruitment and have passed 09 Months duration basic training – Radio Operation and Maintenance Training Course **Grade-III** prescribed for Constable (Police Communication) in rule 25 (b) (1) of these Rules and the Basic Police Training Course or have passed Radio Operator Training Course Grade-III of **06** months duration before the enforcement of these Rules, through departmental selection committee on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit, as mentioned in rule 22(a):

Provided that on the cessation of the cadre of Constable (Police Telecommunication) 100 percent post of Head Constable (Police Telecommunication) shall be filled by direct recruitment.

(3) Assistant Sub-Inspector (Police Telecommunication)-

Cent percent posts of **Assistant Sub Inspector (Police Telecommunication)** shall be filled by promotion from amongst such permanent Head Constable (Police Telecommunication), who have completed five (05) years of service as Head-Constable (Police Telecommunication) on the first day of the year of recruitment and have passed 04 months duration Radio Operation and Maintenance Training Course Grade-2 prescribed for Head Constable (Police Telecommunication) as mentioned in Rule 25 (b) (2) of these rules or have passed Radio Operator Training Course Grade-2 of 04 months duration before enforcement of these Rules, through Departmental Promotion Committee on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

(4) Sub-Inspector (Police Communication)-

(1) 25 percent posts shall be filled by direct recruitment in accordance with the procedure prescribed by the Government for this purpose through the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission or an institution authorised by the Government for the time being.

(2) 75 percent posts shall be filled by promotion through selection from amongst such permanent Assistant Sub-Inspectors (Police Communication), who have completed five (5) years of service as Assistant Sub-Inspector (Police Telecommunication) and have passed Radio operation and maintenance Training Course **Grade-I** prescribed for Assistant Sub-Inspector (Police Communication) mentioned in rule 25 (b) (3) of these rules or have passed Radio Operator Training Course **Grade-I** of 04 months duration before come into force of these rules through departmental selection committee on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit as mentioned in rule-22(b) of these Rules.

(5) Inspector (Police Telecommunication)-

Cent percent posts shall be filled by promotion through selection from amongst such permanent Sub-Inspectors (Police Communication) who have completed five (10) years of service as Sub-Inspector (Police Telecommunication) and have passed basic Radio operation and maintenance training course and basic police training course prescribed for Sub-Inspector appointed by direct recruitment (Police Communication) mentioned in rule 25 (a) (2) of these rules and the basic Police Training Course or have passed

Sub-Inspector (Police Telecommunication) training course prescribed for promoted Sub-Inspector (Police Telecommunication) mentioned in rule 25(b)(4) of these rules or the Radio Maintenance Office Training Course prescribed for Radio Maintenance Officers or Radio Station Officer Training Course prescribed for Radio Station Officers appointed by direct recruitment/promotion before the commencement of these Rules through departmental selection committee on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit as mentioned in rule 22(c).

Reservation in Direct Recruitment-

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section and other categories of the State of Uttarakhand shall be in accordance with the Rules in force at the time of recruitment and the orders of the Government.

PART IV - QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India , or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a

period of more than one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE: A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualifications

8 A candidate for direct recruitment to the posts of various categories in the service must possess following educational qualifications:

(1) Head Constable (Police Telecommunication)-

To apply for the direct recruitment to the post of Head Constable (Police Telecommunication) only those candidates shall be eligible who have passed Intermediate examination with Physics, Mathematics and English subjects or has acquired an equivalent qualification from a recognized institute situated in Uttarakhand.

OR

Have passed a Diploma Examination in Electronics Engineering or in any discipline related to Radio Technology, Computer Science or Information Technology from an institute recognized by the Uttarakhand Board of Technical Education or an equivalent institution.

(2) Sub-Inspector (Police Telecommunication)-

A candidate must have passed B.Sc. examination with Physics and Mathematics subjects from a recognized University established by law in India;

OR

Must have acquired a Bachelor Degree in Engineering with any subject from a recognized university/Institute established by law in India.

Preferential Qualifications

9. A candidate who has -

(i) Served in the territorial army for a minimum period of two years,

or

(ii) has obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps, other things being equal, shall be given preference in matter of direct recruitment.

Compulsory/ Desirable Qualifications

10. Qualification shall be according to the provision prescribed in the Essential/desirable Qualification for the Recruitment of group "C" post within the purview of the Uttarakhand Public Service Commission and outside the purview of the Public Service Commission Rules, 2010 (as amended from time to time).

Age

11. For direct recruitment the age of a candidate on the first day of July of the year on which recruitment is to be made –

(i) For the post of Head Constable (Police Telecommunication) minimum 18 years and maximum 22 years;

(ii) For the post of Sub-Inspector (Police Telecommunication) minimum 21 years and maximum 28 years;

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Ex-servicemen shall be given 03 years relaxation in maximum age limit after deducting the total years of service done by them in the army, from their actual age.

Only those candidates of Home Guards shall be given 03 years relaxation in prescribed maximum age limit for the posts of direct recruitment who have completed minimum 03 year service in Home Guards. A certificate to this effect is required to be enclosed with the application.

(iii) **(1)** The candidates employed in government services must obtain a no –objection-certificate from the Appointing Authority of their department.

(2) The ex-servicemen must have registered themselves in the District Sainik Resettlement Office of any district of Uttarakhand State. Ex-servicemen candidates are required to enclose an attested photocopy of the registration card issued by the District Sainik Resettlement Office.

Physical Standard Test-

12. (a) Minimum physical standards for the direct recruitment post of the Head Constable (Police Telecommunications) – (1) Heignt

S.N.	Category	For male candidates (Minimum)	For female candidates (Minimum)
1	For General/Other Backward Classes and Scheduled Castes candidates	165.0 cm	152.0 cm
2	For Scheduled Tribe candidates	157.5 cm	147.0 cm
3	For hill area candidates	160.0 cm	147.0 cm

(2) Weight (For female candidates only) –
Minimum 45 kg.

(3) Chest measurement (For male candidates only) –

S.No.	Category	Without expanding (Minimum)	On expansion
1	For candidates belonging to General/Other Backward Classes and Scheduled Caste	78.8 cm	83.8 cm
2	For candidates belonging to Hill area /Scheduled Tribe of Uttarakhand	76.3 cm	81.3 cm

NOTE: chest expansion of minimum - 5 cm is required

(b) For the direct recruitment post of the Sub-Inspector (Police Telecommunication)

(1) Height

S. No.	Category	For male candidates (Minimum)	For female candidates (Minimum)
1	For General/Other Backward classes and Scheduled Castes candidates	167.70 cm	152.0 cm
2	For Scheduled Tribe candidates	160.0 cm	147.0 cm
3	For hill area candidates	162.60 cm	147.0 cm

(2) Chest measurement (For male candidates only) –

S.N	Category	Without expanding (Minimum)	On expanding
1	For General/Other Backward classes and Scheduled Castes candidates	78.8 cm	83.8 cm
2	For hill area /Scheduled Tribe candidates	76.5 cm	81.5 cm

NOTE: chest expansion of minimum 5 cm is required.

(3) Weight (For female candidates only) –
Minimum 45 kg.

(c) The classification of hill area residents as per Government order no. 256/18 – pra.shi.-2-88-20 (S.B.)/82 dated:16-01-1982, is as under:

Entire Chakrata tehsil of **Dehradun** district, and Mussoorie hill area situated in North and East of Dehradun tehsil located between the Ganga and Yamuna rivers above the height of Rajpur, Nainital and Garhwal, Kotdwar including upper area of sub-mountain road, entire area of Pithoragarh, Almora, Chamoli, Tehri Garhwal and Uttarkashi districts, entire area of newly created Bageshwar and Rudraprayag and Champawat districts shall also be considered hill area being previously a part of Almora, Chamoli and Pithoragarh districts respectively.

(d) Physical measurement test shall only be of qualifying nature and it shall not have any effect on merit list.

Character

13. The character of a candidate for direct recruitment to a post must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government Service. The Appointing Authority shall himself satisfy on this point.

Note-

Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or Corporation or Body under the ownership or control of Union Government or State Government shall not be eligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible for appointment.

Marital Status

14. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

15. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Physical standard for the recruitment shall be the same that has been fixed for the posts of equivalent category in Police Regulations. Before a candidate, not in the Government service before is finally approved for appointment to the service shall be required to produce a medical fitness certificate in accordance with the Police Regulations. Before a candidate is finally approved for the appointment, he shall be required to pass the Test of Medical Board.

Note: The Medical Board shall test the prescribed physical standards, as the case may be, for his height, weight and chest measurements, and knock-knee, bow-legs, flat-feet varicose-veins, far and near vision, color blindness (full and partial), renal test, hearing power test by including weber test shall also be carried out. Vertigo and speech defect test, as notified by the State Government from time to time, shall be carried out. If necessary, other tests, after taking opinion of medical specialists, may also be carried out. Medical tests of the candidates shall be carried out as per the medical manual, if any, and the result shall be declared on the day of the medical test itself.

1. A candidate for being appointed to the Government Service must not have less than 6 /6 vision on one eye and 6/9 on the left eye. Thus, for the right-handed candidates working without glasses must not have a right eye vision less than 6/6 and the left-handed candidates must not have a left eye vision less than 6/6. He must be totally free of color blindness/squint;

2. Candidates with knock-knee, flat feet, bow-leg varicose vein, stuttering, disability and other deformities or any other problems which may, by any means, obstruct the duty of a Police Officer shall be treated as ineligible. On submission of a certificate in prescribed

form by the medical board in this regard of the candidate being suitable, he shall be finally given appointment in Uttarakhand Police Telecommunication Subordinate Service;

3. A candidate who is not satisfied with his medical examination may file an appeal on the day of the examination itself. If the candidate fails to appeal on the day of medical examination and declaration of its result no appeal shall be considered in respect of medical examination. The Appeal should be disposed of within two weeks of it's filing by the Divisional Medical Board constituted for this purpose. The Divisional Medical Board must essentially consist of a specialist doctor of the defect to be examined ;

4. The medical examination shall be of qualifying nature only and it shall not have any effect on the Final merit list.

PART – V – PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies –

16. The Appointing Authority shall determine and intimate to the Employment office the number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6.

Procedure for direct recruitment to various posts

17. (a)(1) The Head of Department shall forward to Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission or to the Institution authorised by the State Government for this purpose the number of vacancies to be filled during the course of the year and also its requisition for recruitment in accordance with the reservation policy for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6 and the rules and the orders of the Government prevailing at the time of recruitment

(2) Selection Commission or the institution authorised by the Government (for the purpose) for the time being, shall issue advertisement for the direct recruitment.

(3) Selection Commission or the Institution authorised by the Government for the time being, shall hold physical measurement

examination of the candidates on the basis of the criteria fixed in rule 12 of these Rules.

(4) The Commission shall hold written examination of the candidates who have successfully passed the Physical Measurement Examination. The Commission shall prepare an objective type question paper of 100 marks according to minimum Educational qualifications prescribed for the respective post which shall include following subjects. The written examination shall be of the duration of 02 hours : -

S. N.	Subjects
1	General Hindi
2	Science
3	Numerical and General Knowledge test
4	Mental aptitude test/ Intelligence Quotient test/ Reasoning test

NOTE:-Detailed syllabus for the examination shall be prepared by the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission or by an Institution authorised by the State Government for the time being, as the case may be. The nature of the written examination shall be objective as mentioned in sub rule (4) of rule 17 (a). In the evaluation of question papers one (01) mark for each right answer and ¼ negative marks for each wrong answer shall be given.

In the written examination, the candidates belonging to unreserved category and the Other Backward Class category shall be included in the merit list only on obtaining minimum 50 percent marks, and the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes shall be included in the merit list only on obtaining minimum 40 percent marks.

(b) Selection and Final Merit List

The Selection Commission or the authorised institution keeping in mind the reservation policy, shall prepare the final merit list against the vacancies from amongst the candidates found successful in the written examination on the basis of marks secured by them in the written examination. If two or more candidates secure equal marks in the written examination the name of candidate older in age shall be placed above in the selection list.

If more than one candidate are still remained equal the candidate, having preferential qualification as prescribed in rule 9 of these rules, shall be given preference. If more than one candidate still

remains equal their name shall be placed above in the merit list whose name comes first in alphabetical order of english. The final merit list, prepared as above shall be forwarded by the Selection Commission or the Institution authorised for this purpose by the Government with its recommendations to the Head of Department for medical test and /character verification.

No waiting list shall be prepared by the Selection Commission or the Institute notified for this purpose by the Government.

The Head of Department shall forward the list, sent by Selection Commission or the Institution authorised for this purpose by the government, to the Appointing Authority for appointment after approval.

Candidates whose names appear in the final merit list shall be required to pass the Medical Examination held by the competent Medical Board. The Appointing Authority shall request the Chief Medical Officer of the respective district to constitute a Medical Board to hold medical examination. Medical Examination of candidates by the Medical Board shall be carried out in accordance with the relevant medical manual. The candidates, who are declared fit by the medical board, shall be eligible for appointment in the Service.

Before issuing the letter of appointment the Appointing Authority shall carryout the character verification of candidates. Generally, the character verification work shall be done within a period of one month. In case of an adverse information appearing during the character verification of a candidate the Appointing Authority shall declare him unsuitable and such vacancy shall be carried forward for onward selection.

The candidates, found suitable in character verification, shall be issued an appointment orders by the Appointing Authority and shall send them to the training center for the prescribed training course.

Affidavit

18. The candidates, found successful in medical examination conducted after final selection, shall be required to submit an affidavit verified by the public notary on a non-judicial stamp paper in prescribed format to this effect that "No criminal case has been registered against me anywhere in India and I am not wanted /punished in any such criminal case and there is no prosecution pending /under consideration against me. I hereby declare that all

the information provided by me in the application is complete and true to the best of my knowledge and belief. All the certificates related to my academic qualifications enclosed with my application are correct and no information has been concealed. In case any information mentioned by me or any certificate attached by me in respect of my academic qualification is found wrong/false my candidature shall be cancelled and all my claims for recruitment shall be finished and the Department shall be free to initiate legal action against me and no suit shall be filed by me in any court in this respect."

Bond

19. A candidate, finally selected for appointment, shall be required to submit a bond duly signed by the candidate stating that he shall essentially serve the department for minimum five (05) years of duration If he resigns from the service or he is relieved from service for the other Government service on his own request before completing five (05) years in the Service, he shall have to pay back the total amount spent on his Training and the payment made to him as his Stipend/Salary during the training period to the Department of the Police Communication as per Rules.

Annual Medical Inspection during the Service

20. All the personnel appointed to the posts of Constable (Police Telecommunications) and Head Constable (Police Telecommunications) and Head Constable (Police Communications) in the Department shall be required to compulsorily undergo a medical inspection/checkup by the Medical Officer of the District Hospital once in every calendar year under the provisions of Para-387 of the Police Regulations. For this inspection/checkup they shall be required to carry their Medical History Sheet. The health inspection/checkup by the Medical Officer shall be done in accordance with the relevant rules.

Procedure for recruitment by promotion

21. (1) The procedure for recruitment by promotion to the various posts in State Service shall be made in accordance with the procedure mentioned in Government Order No. 1801/Karmik-2/2002 dated: 23-06-2003 of Government of Uttarakhand through separate departmental selection committees constituted for appointment to different posts under sub-rule (a), (b) and (c) of rule 22 on the basis of seniority and subject to the rejection of the unfit:

Provided that where any difficulty arises in consideration in respect of promotion of employees to be promoted under the existing rules the procedure according to Uttarakhand Selection Procedure for Promotion (Outside the purview of Public Service Commission) in Services under the State Rules, 2013 (as amended from time to time) shall be followed.

(2) For the selections to be made on the basis seniority, subject to the rejection of the unfit by the Appointing Authority a list of eligible candidates shall be prepared in order of their seniority on the basis of merit as per procedure given in para-3(a) of Government Order no.1801/karmik-2/2002 dated 23-06-2003 and shall be placed before the selection committee along with their character –rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper. For promotions to be made on the basis of seniority by subject to the rejection of the unfit the names of employees included in eligibility list prepared under the provisions of rule 8 of the Uttarakhand Promotion by Selection (On posts outside the purview of Public Service Commission) Eligibility-List Rules, 2003 shall be considered by the departmental committee in descending order on the basis of their seniority. For promotion the employees having last five years satisfactory service record shall be eligible and means no adverse annual entry shall be in their record.

For preparation of eligibility list undisputed final seniority list shall be used.

Names of only those employees shall be included in the eligibility list who fulfill all the prescribed conditions (namely, confirmation, qualifying service in the feeding cadre, prescribed qualifying service in the department, as prescribed in the rules) of the eligibility as per rules in force for the time being on the first July of the respective selection year (for the year in which for vacancies the selection is proposed) and are serving. In case an employee fulfills the eligibility conditions on the first day of the selection year but due to delayed selection he is retired on the date of selection or is dead, his name shall be placed in the eligibility list. But in case an employee does not fulfill the eligibility conditions as above on first day of July of the respective selection year but has completed the qualifications on the date of holding of selection committee meeting in delayed selections he shall not be included in the eligibility list as the candidate is required to be eligible on the first July of the respective selection year.

(a) According to the above mentioned procedure, to select the suitable candidates, updated annual confidential entries for the period

of last 05 years working on the posts lower to the post of promotion of the concerned Employee shall be observed.

(b) In case the integrity of an Employee has been doubtful or kept withheld during the last 05 years of Service as per sub-rule (a) such employee shall not be considered suitable for promotion. But in case an Employee is penalized by the Major Punishment or the Minor Punishment mentioned in rule 4 (a) and 4(b) of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991/ Adaptation and Modification Order 2002) till the date of the meeting of Departmental Selection Committee for Promotion. The effect of these punishments shall remain for 03 years in case of Major Punishment and for 01 year in case of Minor Punishment from the date of final order of punishment.

(c) As per above promotion procedure no employee may claim his promotion on the basis of his seniority alone. If an employee is declared unfit for promotion as per above criteria the selection committee may recommend for promotion the name of the employee junior to him.

(d) In case the appeal of the penalized employee is pending or the period for appeal has not expired, or a departmental proceeding is pending against the employee and a prosecution is registered/under consideration/ under trial, the name of such employee shall be included for promotion with condition, but in case during the promotion process the appeal of such employee is cancelled/rejected or he is penalized in departmental action/prosecution the concerned employee shall be ousted from the promotion process. If the appeal/departmental action/prosecution is not disposed of during the promotion process his name shall be considered on the basis of other records in anticipation of the decision of appeal/departmental action/prosecution and the recommendations of the Departmental Selection Committee for Promotion in this respect shall be kept inside a sealed envelope. This sealed envelope shall be opened only after the completion of enquiry/ Departmental action or on receiving the final decision of the Court in the prosecution against the employee in the respective matters.

(3) On the basis of records specified in sub-rule (2) the Selection Committee shall consider the case of the candidate and in case it deems fit it may interview the candidates.

(4) The Selection Committee shall prepare a list on the basis of seniority of the candidates and forward it to the Appointing Authority.

Constitution of the Departmental Selection Committee

22. For the purpose of promotion to various posts a Departmental Selection Committee shall be constituted by the head of the department as under:

(a) For the post of Constable (Police Telecommunication), Head Constable (Police Telecommunication), Assistant Sub-Inspector (Police Telecommunication) –

(i) Superintendent of Police nominated by the Director General of Police- Chairman

(ii) Superintendent of Police (Police Telecommunication)- Member

(iii) Addl. Superintendent of Police (Police Telecommunications) or Deputy Superintendent of Police (Police Telecommunications) nominated by the Deputy Inspector General of police (Police Telecommunication)- Member

(b) For the post of Sub-Inspector (Police Telecommunication)

(i) Deputy Inspector General of Police (Police Telecommunication) - Chairman

(ii) Superintendent of Police (Police Telecommunications) - Member

(iii) A senior police officer not below the rank of Superintendent of Police nominated by Director General of Police.- Member

(c) For the post of Inspector (Police Telecommunications) –

(i) Inspector General of Police nominated by Director General of Police- Chairman

(ii) Deputy Inspector General of Police (Police Telecommunications)- Member

(iii) Superintendent of Police (Police Telecommunications) - Member

Note:- It is essential to have in the above said Departmental Selection Committee (An Officer belonging to Scheduled Caste;Scheduled Tribe).

Combined Selection List

23. If in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained. The first name in the list shall be of the person appointed by promotion.

Illustration:-

(1) Suppose in a certain year the recruitment is to be made both by promotion and by direct recruitment in the ratio of 75 to 25 and there are 20 vacancies. In such a case 15 vacancies shall be filled by promotion and 5 vacancies shall be filled by direct recruitment. After the selection the combined list shall be prepared in following cyclic order:

1	Promotion	11	Direct Recruitment
2	Direct Recruitment	12	Direct Recruitment
3	Direct Recruitment	13	Promotion
4	Direct Recruitment	14	Direct Recruitment
5	Promotion	15	Direct Recruitment
6	Direct Recruitment	16	Direct Recruitment
7	Direct Recruitment	17	Promotion
8	Direct Recruitment	18	Direct Recruitment
9	Promotion	19	Direct Recruitment
10	Direct Recruitment	20	DirectRecruitment

Illustrations:-

(2) In the above cases instead of recruitment in any year (X), being in accordance with the prescribed quota, 8 persons are recruited by promotion and 12 persons by direct recruitment and the rule or where there is no rule, the relevant order in force for the time being do not permit the unfilled vacancies of any sources being filled from the deficiency in the quota of direct, and to compensate the direct recruits is made in the next year (Y) by recruiting 18 vacancies the direct recruits and 2 by promotion out of combined select list in (X) and (Y) years shall be prepared in the following cyclic order:-

(X) Year		(Y) year	
1	Direct recruitment	1	Direct recruitment unfilled
2	Direct recruitment	2	Direct recruitment quota of (X) year
3	Direct recruitment	3	Direct recruitment quota
4	Direct recruitment	4	Promotion Excess of (X) year quota
5	Promotion	5	Direct recruitment
6	Direct recruitment	6	Direct recruitment
7	Direct recruitment	7	Direct recruitment
8	Direct recruitment	8	Promotion Excess of (X) year quota

9	Promotion	9	Direct recruitment
10	Direct recruitment	10	Direct recruitment
11	Direct recruitment	11	Direct recruitment
12	Direct recruitment	12	Promotion Excess of (X) year quota
13	Promotion	13	Direct recruitment
14	Direct recruitment	14	Direct recruitment
15	Direct recruitment	15	Direct recruitment
16	Direct recruitment	16	Promotions
17	Promotion	17	Direct recruitment
		18	Direct recruitment
		19	Direct recruitment
		20	Promotion

Illustrations

(3) If in the case mentioned in illustrations (2), where in the rule or where there are no rules, in relevant order in force for the time being provided for the unfilled by promotions of source being filled from other sources in specified contingency and the 3 vacancies of direct recruits are so filled the combined selection list shall be prepared in the following cyclic order:-

1	Promotion	11	Direct Recruitment
2	Direct Recruitment	12	Direct Recruitment
3	Direct Recruitment	13	Direct Recruitment
4	Direct Recruitment	14	Direct Recruitment
5	Promotion	15	Direct Recruitment
6	Direct Recruitment	16	Direct Recruitment
7	Direct Recruitment	17	Promotion
8	Direct Recruitment	18	Promotion
9	Promotion	19	Promotion
10	Direct Recruitment	20	Promotion

PART-VI

APPOINTMENT, TRAINING, PROBATION, CONFIRMATION & SENIORITY

Appointment-

24. (1) Subject to sub-rule (2) the Appointing Authority shall make appointments after by taking the names of candidates in order in which they stand in the lists prepared under rule 17, 21 or 23, as the case may be.

(2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall

not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 23.

(3) If more than one order of appointments are issued in respect of one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of persons in order of seniority as determined in the selection, or as it stood in the cadre from which they are promoted, as the case may be. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion the names shall be placed in cyclic order specified in rule 23.

(4) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the lists prepared under to in sub-rule (1). If no candidate from these lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

Training

25. (a) Training Program for employees appointed by direct recruitment in the service

(1) The apprentice Head Constable (Police Communications) appointed by direct recruitment shall be required to pass nine months Radio operation and maintenance training course Grade- III and basic Police Training. After that the apprentice Head Constable (Police Communication) shall be required to undergo a practical training of six months duration in police telecommunication station /sections.

(2) The directly recruited Sub-Inspector (Police Communication) shall be required to undergo basic training course related to Radio operation and maintenance training course for 08 months period in a training center prescribed by the head of department. After successful completion of 08 months training the trainee Sub-Inspector (Police Telecommunication) shall be given basic police training of four months in Police Training College and he shall be required to compulsorily pass the examination prescribed by Police Training College. After that he will have to receive practical training of six months in police telecommunication station /sections of Police Telecommunications Branch.

(3) If the directly recruited Sub-Inspector (Police Telecommunication) and Head Constable (Police Telecommunication) cadet fails, in the basic training they shall

again get an opportunity of training through supplementary training to be held by the head of the department. Services of candidates failed in supplementary training shall be terminated.

(b) For promotion to a post in the service only those employees who have passed the following training course for the respective post shall be eligible:-

(1) For promotion to the post of Head constable (Police Communication) from Constable (Police Communication) the Constable (Police Communication) shall be required to pass the duration nine months radio operation and maintenance training course grade III of and also the basic police training. After the successful completion of training the Constable (Police Communication) shall have to get practical training of six months period in police telecommunications station /sections of Police Telecommunications Branch.

For promotion to the post of Head Constable (Police Communication) such Constables (Police Communication) shall also be eligible who have passed the radio operator training Grade-III of six months duration before these rules came into force.

(2) For promotion to the post of Assistant Sub-Inspector (Police Communication) from Head Constable (Police Communication) the Head Constable (Police Communication) shall be required to pass the radio operation and maintenance training course Grade-II of the six months duration. For promotion to the post of Assistant Sub-Inspector (Police Communication) such Head Constables (Police Communication) shall also be eligible who have passed the radio operator course category-2 of four months duration before these rules came in to force.

(3) For promotion to the post of Sub-Inspector (Police Communication) from Assistant Sub-Inspector (Police Communication) the Assistant Sub-Inspector (Police Communication) shall be required to pass the radio operation and maintenance training course Grade-1 of four months duration. For promotion to the post of Sub-Inspector (Police Communication) such Assistant Sub-Inspector (Police Communication) shall also be eligible who have passed the radio operator training grade-1 of four months duration before these rules comes into force.

(4) For promotion to the post of Inspector (Police Telecommunication) from promoted Sub-Inspector the promoted

Sub-Inspector shall be required to pass the Sub-Inspector (Police Telecommunication) training course of four months duration. Directly recruited Sub-Inspectors (Police Telecommunication) who have successfully completed the basic police training of four months after successfully completed the basic training course of eight months duration related to radio operation and maintenance, shall also be eligible for promotion to the post of Inspector (Police Telecommunication).Such Sub-Inspectors shall also be eligible who have passed the Radio Station Officer training or the Radio Maintenance Officer training course before these rules comes into the force.

(5) The Inspector (Police Telecommunication) /Sub-Inspector (Police Telecommunications) / Assistant Sub-Inspector (Police Telecommunication)/Head Constable (Police Telecommunication) nominated by Superintendent of police (Police telecommunication) Headquarters for cipher works with the approval of Deputy Inspector General of Police shall be sent for police basic cipher course, cipher course grade-II and cipher course grade-I in training center prescribed by the Directorate of Coordination, Police Wireless, Ministry of Home Affairs, Government of India.

(6) The Head of Departments may re-prescribe the training syllabus from time to time as per needs of the department.

Probation

26. (1) A person substantively appointed to a post in service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the period is extended:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances for more than two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of the opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his service may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

27. (a) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period or the extended period of probation if –

(i) Successfully undergone the prescribed training, if any

(ii) he has passed the prescribed department examination,

(iii) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(iv) his integrity is certified; and

(v) the Appointing Authority is satisfied that he is, otherwise, fit for confirmation.

(b) The confirmation of a government servant shall be made under the provision of rule 4(1) and 4(2) of the Uttarakhand State Government Servants Confermation Rules, 2002 only to the post on which he must have been substantively appointed:-

(i) By direct recruitment or

(ii) By promotion, if the source of recruitment is direct recruitment; has been appointed as substantively or

(iii) By promotion, if the post is related to other service, appointed substantively.

(2) Such confirmation shall made as under;-

(i) Against a post whether temporary or permanent on which no other person holds a lien;

(ii) Under the fulfillment of conditions provided in executive instructions in rules or issued by the Government, as the case may be;

(iii) Formal order by the Appointing Authority in respect of confirmation must essentially be issued.

Explanation:-

Notwithstanding the fact that a government servant is permanent in other post, whether he is directly recruit in the service on a post or is promoted to the post in the service where direct recruitment is also a source of recruitment, he shall be confirmed on that post.

Confirmation, where not required

As per rule 5(1) of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation rules, 2002. The confirmation shall not be necessary if a Government servant is promoted in a regular basis, after following the prescribed procedure to a post in the cadre where promotion is the only source of recruitment.

Determination of Seniority

28. The seniority of a person appointed on a post of the service, shall be determined in accordance with "Uttarakhand Government Service (Seniority) Rules, 2002."

PART VII – PAY ETC

Scale of Pay

29. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the government by time to time.

(2) Scale of pay as per Appendix "B" at the time of the commencement of these rules.

Pay during probation

30. (1) Notwithstanding any provision in the principal Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent government service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and on completing training where prescribed and second increment after two years of service, when he has completed the probation period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government ,shall be regulated by the relevant Fundamental Rules;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3)The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government ,shall be regulated by the relevant Rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

(4) if the increment of an officer is stopped only for failing to pass the departmental examination during the probation period ,shall be allowed to pay the increment on passing the departmental examination, from the first date of the next month in which the examination is conducted and such period , during which the increment is stopped, shall be calculated for the increment in time – scale.

PART VIII – OTHER PROVISIONS

Canvassing

31. No recommendations either written or oral other than those required under rule applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other Matters

32. In regards to the matters not specifically covered by these rules or special orders, person appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the condition of service

33. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the commission, the commission shall be consulted before the requirements of the rules are dispensed with or released.

Savings

34. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other special categories or persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix-A

See sub-rule 2 of rule 4

S.No.	Name of the Post	Number of sanctioned Posts
1	Constable (Police Telecommunication)	06
2	Head Constable (Police Telecommunication)	400
3	Assistant Sub-Inspector (Police Telecommunication)	200
4	Sub – Inspector (Police Telecommunication)	100
5	Inspector (Police Telecommunication)	20

Appendix-B

See sub-rule (2) of rule 29

S.N	Name of the Post	Pay Scale Pay Matrix Level
1	Constable (Police Telecommunication)	Rs. 21700 – 69100 Level-3
2	Head Constable (Police Telecommunication)	Rs. 25500 – 81100 Level-4
3	Assistant Sub-Inspector (Police Telecommunication)	Rs. 35400 – 112400 Level-6
4	Sub – Inspector (Police Telecommunication)	Rs.44900 – 142400 Level-7
5	Inspector (Police Telecommunication)	Rs.47600 – 151100 Level-8

By Order,

NITESH KUMAR JHA,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 हिन्दी गजट/170–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2021 ई0 (चैत्र 20, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

March 09, 2021

No. 24 UHC/XIV-32/Admin.A/2018--Ms. Urvashi Rawat, Judicial Magistrate, Rishikesh, Dehradun, is hereby sanctioned medical leave for 16 days *w.e.f.* 02.12.2020 to 17.12.2020.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 9th, 2021

No. 25/UHC/Admin.A/2021--In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling in that behalf, Hon'ble Court has been pleased to make the following amendment in Rule 2 of Chapter III of High Court Rules, 1952 applicable to Uttarakhand under U.P. Reorganization Act, 2000.

AMENDMENT

Rule 2 of Chapter III be re-inserted as under:

Administrative Committees: (a) There shall be as many Administrative Committees, as may be prescribed by the Chief Justice.

(b) The composition and the term of Administrative Committees, shall be as prescribed by the Chief Justice.

(c) In case of absence of any member of the Administrative Committee for whatever reasons, a new member may be appointed by the Chief Justice.

(d) These Committees shall discharge such function, as may be allocated by the Chief Justice.

(e) If a member of the Administrative Committee is temporarily absent, business assigned to the Committee may be transacted by the remaining members or another member may be appointed by the Chief Justice.

(f) The Administrative Committees shall meet at least once in a month. However, it is open for the Chairperson of the Administrative Committee to call a meeting at any time.

(g) The Rule 4 of Chapter III, which provides for Allocation of administrative work, shall deem to be modified in accordance with the work allocated to the Administrative Committees.

This amendment will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

March 10, 2021

No. 26/XIV-a/47/Admin.A/2012--Ms. Simranjit kaur, Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 15.02.2021 to 01.03.2021 with permission to prefix 13.02.2021 & 14.02.2021 as Second Saturday & Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 10, 2021

No. 27/XIV-a/36/Admin.A/2015--Sri Alok Ram Tripathi, 5th Additional Civil Judge (Senior Division), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 25.02.2021 to 03.03.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 16, 2021

No. 28/UHC/XIV/49/Admin.A--Sri C.P. Bijalwan, District & Sessions Judge, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f* 16.02.2021 to 06.03.2021 with permission to suffix of 07.03.2021 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 16, 2021

No. 29/XIV/a-45/Admin.A/2017--Sri Anil Kumar Kori, Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat District Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 17 days *w.e.f.* 11.02.2021 to 27.02.2021 with permission to suffix 28.02.2021 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 16, 2021

No. 30/XIV-10/Admin.A/2008--Ms. Parul Gairola, ADJ/Fast Track Special Court (POCSO) Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 20 days *w.e.f.* 15.02.2021 to 06.03.2021 with permission to prefix 13.02.2021 & 14.02.2021 as Second Saturday & Sunday holiday respectively and suffix 07.03.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 16, 2021

No. 31/XIV-a/19/Admin.A/2008--Ms. Geeta Chauhan, Additional District & Sessions Judge, Karnprayag, District Chamoli is hereby sanctioned child care leave for 20 days *w.e.f.* 08.02.2021 to 27.02.2021 with permission to prefix 07.02.2021 as Sunday holiday and suffix 28.02.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 16, 2021

No. 32 UHC/XIV-89/Admin.A/2003--Shri Abdul Qayyum, Judge, Family Court, Khatima, Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 18.02.2021 to 04.03.2021.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 हिन्दी गजट/170–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2021 ई0 (चैत्र 20, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

03 फरवरी, 2021 ई0

पत्रांक 6438/3–सा0नि0अनु0/20–21—नगरपालिका परिषद् रामनगर, जिला–नैनीताल, द्वारा उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड, की धारा–298(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड के प्रस्ताव सं0–1 (विशेष), दिनांक 01–02–2021 द्वारा वर्तमान में प्रभावी, निर्माण कार्य एवं निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदारी पंजीयन नियमावली, जो सरकारी गजट में दिनांक 13 नवम्बर, 2004 ई0 में प्रकाशित हैं, को अवक्रमित कर, ठेकेदारी पंजीयन हेतु उपविधि बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड, की धारा–301(2) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषद्, रामनगर, ठेकेदारी पंजीयन उपविधि का प्रकाशन सरकारी गजट उत्तराखण्ड में किया जाता है।

उपविधि

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार-

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद रामनगर ठेकेदारी पंजीयन उपविधि कहलायी जायेगी।

(ख) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

(ग) यह उपविधि नगरपालिका रामनगर द्वारा कराये जाने वाले सभी प्रकार के सिविल निर्माण कार्यो (मरम्मत/पुनर्निर्माण/निर्माण) तथा सिविल निर्माण कार्यो हेतु, निर्माण सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धी, कार्य करने हेतु पंजीकरण कराने के इच्छुक सभी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी पर लागू होगी। राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी अथवा नगरपालिका द्वारा अन्यथा आदेश/प्राविधान किये जाने की दशा को छोड़ कर, इस उपविधि के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, जिसे आगे चलकर पंजीकृत ठेकेदार कहा गया है, ही नगरपालिका द्वारा सम्पादित किये जाने वाले सिविल निर्माण कार्यो एवं निर्माण सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धी कार्य करने हेतु अर्ह होगें, परन्तु जब नगरपालिका का यह समाधान हो जाए कि, किसी/किन्ही कार्य विशेष के सम्पादन हेतु नगरपालिका में पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तब सम्बन्धित कार्य की निविदा में प्रतिभाग हेतु, लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों में कार्य विशेष हेतु अनुभवी, दक्ष तथा अर्ह/पंजीकृत, ठेकेदार भी पात्र होगें।

2. परिभाषाएं- जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड से है।
(ख) ''राज्य सरकार'' से तात्पर्य, उत्तराखण्ड राज्य सरकार से है।
(ग) ''नगरपालिका'' से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद, रामनगर से है।
(घ) ''कार्यालय'' से तात्पर्य, कार्यालय नगरपालिका परिषद, रामनगर से है।
(ड) ''बोर्ड'' से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद, रामनगर के निर्वाचित बोर्ड से है।
(च) ''पंजीयन'' से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद, रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन उपविधि के अन्तर्गत पंजीयन से है।

3. पंजीयन- नगरपालिका द्वारा ठेकेदारों का पंजीयन, तीन श्रेणीयों, श्रेणी ''ए'', श्रेणी ''बी'' एवं श्रेणी ''सी'' में किया जायेगा। यदि किसी ठेकेदार का उपविधि के अग्रतर उपबन्ध-6 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त न कर दिया गया हो या तत्समय प्रवृत्त नगरपालिका/राज्य सरकार के किसी आदेश, के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा पंजीकरण हेतु अनर्हता प्राप्त न कर ली गयी हो, तो पंजीयन तीन वर्ष हेतु प्रभावी होगा तथा तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व उपविधि के अग्रतर उपबन्ध-7 के अन्तर्गत पंजीयन का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

4. अर्हता- नगरपालिका परिषद द्वारा पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदारों हेतु निम्नानुसार अर्हता निर्धारित की जाती है-

(क) अनुभव-

(i) श्रेणी ''ए''- श्रेणी ए में पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्था/निगम, में न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि तक कार्य करने तथा कार्यावधि में न्यूनतम 25 लाख रू0 लागत तक के निर्माण कार्य/कार्यो को सम्पादित करने का अनुभव हो।
(ii) श्रेणी ''बी''- श्रेणी बी में पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्था/निगम, में न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि तक कार्य करने तथा कार्यावधि में न्यूनतम 15 लाख रू0 लागत तक के निर्माण कार्य/कार्यो को सम्पादित करने का अनुभव हो।
(iii) श्रेणी ''सी''- श्रेणी सी में पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्था/निगम, में पंजीकृत ठेकेदार हो अथवा राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्था/निगम में पंजीकृत ठेकेदार के साथ कार्य करने का अनुभव।

(ख) हैसियत- श्रेणी ''ए'' में पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी के पास, न्यूनतम 10 लाख रूपये, श्रेणी ''बी'' हेतु, न्यूनतम 5 लाख रूपये एवं श्रेणी ''सी'' हेतु, न्यूनतम 2 लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, जिसका हैसियत प्रमाण-पत्र, सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(ग) स्थाई जमानत- नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को श्रेणी ''ए'' हेतु 50 हजार रूपये, श्रेणी ''बी'' हेतु 25 हजार रूपये तथा श्रेणी ''सी'' हेतु 15 हजार रूपये, की स्थाई जमानत, जो राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक एवं बैंक गारण्टी के रूप में हो, जमा करनी होगी। किसी भी प्रकार के अर्थ दण्ड से दण्डित किये जाने की दशा में जब्त किये जाने/कटौती किये जाने को छोड़ कर, पंजीयन निरस्त होने के उपरान्त स्थाई जमानत वापस कर दी जायेगी।

(घ) चरित्र -

(i) नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ संस्था/कम्पनी का चरित्र ठीक होना चाहिए, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया हो।

(ii) नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, देयताधीन (रिसिवरशिप), दिवालिया न हो या उसके कारोबार का समापन न किया गया हो अथवा किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी की निगरानी में न किया जा रहा हो, निलम्बन की स्थिति में न हो या इनमें से किसी भी प्रकरण में उन पर विधिक वाद न चल रहा हो।

(iii) नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी सामाजिक सुरक्षा के दायित्व अंशदानों की देयता को पूर्ण करते हो।

(iv) नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी किसी अपराधिक कृत्य, जो व्यवसायिक संहिता या गलतबयानी या गलत प्रस्तुतीकरण के कारण, जो अधिप्राप्ति सम्बन्धी संविदा की योग्यता का आधार हो, में न पाये गये हो या प्रशासनिक निलम्बन या प्रतिबन्धित होने कारण दोष सिद्ध न हो अन्यथा अयोग्य घोषित न किए गए हो।

(इ) पंजीयन शुल्क- पंजीयन प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने की तिथि से एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व श्रेणी "ए" हेतु अंकन 5,000.00रू0, श्रेणी "बी" हेतु अंकन 2,500.00रू0 एवं श्रेणी "सी" हेतु अंकन 2,000.00रू0 पंजीयन शुल्क कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने पर प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

5. पंजीयन हेतु आवेदन- नगरपालिका परिषद रामनगर में ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रतिवर्ष माह मार्च में दिये जा सकेगें। राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानीय विपत्ति/महामारी अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने की समयावधि में परिवर्तन किया जा सकता है। पंजीयन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को निर्धारित अवधि में निम्न अभिलेखों सहित आवेदन करना होगा-

(क) प्रार्थना पत्र- प्रार्थना-पत्र, जिसमें वांछित पंजीकरण श्रेणी तथा प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का स्पष्ट उल्लेख हो।

(ख) अनुभव प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध 4(क) में उल्लेखित अर्हता की प्रतिपूर्ति हेतु, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, आवेदित श्रेणी के लिये निर्धारित, अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(ग) हैसियत प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध 4(ख) में उल्लेखित अर्हता की प्रतिपूर्ति हेतु, आवेदित श्रेणी के लिये निर्धारित धनराशि के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।

(घ) स्थाई जमानत- उपविधि के उपबन्ध 4(ग) में उल्लेखित अर्हता की प्रतिपूर्ति हेतु, आवेदित श्रेणी के लिये निर्धारित धनराशि की स्थाई जमानत।

(इ) चरित्र प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध 4(घ)(i) में उल्लेखित अर्हता की प्रतिपूर्ति हेतु, जिलाधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा उपविधि के उपबन्ध 4(घ)(ii), 4(घ)(iii) एवं 4(घ)(iv) के प्राविधानों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र की मूल प्रति।

6. पंजीयन समीक्षा- कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष माह मार्च में पंजीकृत ठेकेदारों की कार्यपूर्ति क्षमता एवं अर्हता की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में किसी भी पंजीकृत ठेकेदार की कार्यपूर्ति क्षमता में कमी पाये जाने अथवा नगरपालिका को ठेकेदार के सम्बन्ध में उपविधि के उपबन्ध 4(क), 4(ख), 4(घ) में उल्लेखित अर्हता से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य/अभिलेख/सूचना प्राप्त होने पर, सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा, परन्तु जब

नगरपालिका का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना उचित होगा, तब वार्षिक समीक्षा से इतर भी किसी भी ठेकेदार की कार्यपूर्ति क्षमता एवं अर्हता की समीक्षा की जा सकेगी तथा समीक्षा में कार्यपूर्ति क्षमता में कमी पाये जाने अथवा ठेकेदार द्वारा उपविधि के उपबन्ध 4(क), 4(ख), 4(घ) में कोई अनर्हता प्राप्त किये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा।

7. पंजीयन नवीनीकरण- कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों को पंजीयन तिथि से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व माह मार्च में पंजीयन नवीनीकरण हेतु अभिलेख, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, संलग्न कर आवेदन करना होगा। निर्धारित अवधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन न करने पर पंजीयन निरस्त समझा जायेगा तथा ऐसे ठेकेदार अन्य निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर पुनः पंजीयन के पात्र होंगे।

(क) प्रार्थना पत्र- प्रार्थना-पत्र, जिसमें वांछित नवीनीकरण श्रेणी तथा संलग्न अभिलेखों का स्पष्ट उल्लेख हो।

(ख) हैसियत प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध सं0-4(ख) के सम्बन्ध में इस आशय का शपथ-पत्र कि ठेकेदारी पंजीयन हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न हैसियत प्रमाण-पत्र में उल्लेखित सम्पत्ति न तो खुर्द-बुर्द की गयी है और न ही देयताधीन है।

(ग) चरित्र प्रमाण-पत्र- उपविधि के उपबन्ध 4(घ)(i) के अनुपालन में जिलाधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा उपविधि के उपबन्ध 4(घ)(ii), 4(घ)(iii) एवं 4(घ)(iv) के प्राविधानों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र की मूल प्रति।

(घ) क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र- नगरपालिका द्वारा संविदा शर्तों के अनुपालन हेतु तत्समय दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करने तथा नगरपालिका द्वारा संविदा शर्तों के अनुपालन में अर्थ दण्ड/क्षतिपूर्ति के आदेश दिये जाने पर, अर्थ दण्ड/क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली चल-अचल सम्पत्ति से किये जा सकने के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति पत्र/शपथ-पत्र की मूल प्रति।

(ङ) नवीनीकरण शुल्क- प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने की तिथि से एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व श्रेणी ''ए'' हेतु अंकन 2,500.00रू0, श्रेणी ''बी'' हेतु अंकन 1,500.00रू0 एवं श्रेणी ''सी'' हेतु अंकन 1,000.00रू0 नवीनीकरण शुल्क कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने पर नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

8. कार्य सीमा- कार्यालय में पंजीकृत श्रेणी "सी" के ठेकेदार, अधिकतम 10 लाख रूपये आंगणन राशि, श्रेणी "बी" के ठेकेदार, अधिकतम 20 लाख रूपये आंगणन राशि तथा श्रेणी "ए" के ठेकेदार, नगरपालिका द्वारा समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु, आमंत्रित निविदाओं में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होगें, परन्तु नगरपालिका किसी कार्य विशेष की जटिलता/विशेषता/महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, निविदा में प्रतिभाग हेतु तकनीकी क्षमता/दक्षता/कार्य अनुभव/टूल्स एण्ड प्लान्टस से सम्बन्धित, शर्त/शर्तें निर्धारित कर सकती है।

मो0 अकरम,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, रामनगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 हिन्दी गजट/170–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।